न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 102/11

GCMS id : 2013/00077

1. पूसाराम पुत्र विरामा जाति गुर्जर
2. दीरम पुत्र बलदेव जाति गुर्जर
3. पप्पू पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर

निवासी–पूरपादेवरी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति : श्री तेजकरण जैन – वादी अभिभाषक
श्री रामदयाल विजय – प्रतिवादी क्रम–1 अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.01.2026

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वाद पत्र में किया गया निवेदन संक्षेप में निम्न प्रकार है –

≈ ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा में वादी क्रम–1 पूसाराम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 607/64 की 0.50 हैक्टर, वादी क्रम–2 वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 609/64 की 1.00 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 608/64 की 0.91 हैक्टर तथा वादी क्रम–3 की खातेदारी की 606/64 की 1.00 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। वादीगण उक्त भूमि के विधिवत् खातेदार चले आ रहे है तथा यह भूमि कभी भी माफी मन्दिर मथुराधीश जी की खाते मे नही रही।

≈ नगर विकास न्यास, कोटा ने मंदिर मथुराधीश जी की ग्राम रंगपुर की खसरा नम्बर 64 की 29.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121/479 की 2 हैक्टर भूमि अधिग्रहण की है, किंतु जब मौके पर नगर विकास न्यास कोटा ने रोड बनाना प्रारंभ किया तो नगर विकास न्यास कोटा ने वादीगण की खातेदारी की भूमि मे कार्यवाही शुरू कर दी और जब वादीगण ने मना किया तो कहा कि न्यायालय मे कार्यवाही करो तथा कुछ समय के लिये कार्यवाही रोक दी जो अब पुनः प्रारंभ कर दी है।

≈ वादीगण ने दिनांक 20.10.2011 को इस संबंध मे सचिव महोदय नगर विकास न्यास कोटा को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया किंतु वादीगण की कोई सुनवाई नही हुई, इसलिए वादीगण को इस सम्माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने के अलावा और कोई विकल्प नही रहा। वाद कारण दिनांक 15.11.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी की भूमि मे जबरन सड़क बनाने की कार्यवाही करने पर तत्पर होने पर उत्पन्न हुआ।

≈ अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की एक स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण विधिवत् अधिग्रहण किये बिना खसरा नम्बर 607/64 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 609/64 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 608/64 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 606/64 रकबा 1.00 हैक्टर ग्राम धर्मपुरा की आराजी के वादीगण के कब्जे मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे और न उसमे कोई सड़क का ही निर्माण कार्य करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों मे उचित हो वादीगण को दिलवाई जावे।

≈ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये–

1. नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।
2. नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

3. नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

4. नकल जमाबंदी संवत् 2065–68 ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

3. प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया जो कि संक्षेप मे निम्न प्रकार है–

≈ खसरा नम्बर 64 रकबा 29.82 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121/479 की रकबा 2 हैक्टर ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की अवाप्त करना स्वीकार है, प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा पर सडक निर्माण करना स्वीकार है। वाद पत्र के चरण नम्बर 1 मे वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि पर सड़क निर्माण करना स्वीकार नही है। वादीगण को खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा पर सडक निर्माण के कार्य को रूकवाने का अधिकार नही है

≈ वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2 की आराजी के खसरा भिन्न भिन्न है अतः संयुक्त वाद पोषनीय नही है। खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा माफी मंदिर श्री मथुराधीश जी के खाते की है, जिसकी अवाप्ति की कार्यवाही हो चुकी है। सडक निर्माण का कार्य खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा पर ही प्रस्तावित है।

4. प्रकरण के वादपत्र एव जवाब दावा के तुलनात्मक विवेचन के आधार पर तनकीयात आज निम्नानुसार कायम की गई –

(i) आया वादीगण ग्राम धर्मपुरा खसरा नम्बर खसरा नम्बरान पर 609/64, 608/64, 606/64, 607/64 पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
–(वादीगण)

(ii) वादीगण का वाद अवाप्ति की कार्यवाही हो जाने के कारण पोषनीय नही होने से खारिज होने योग्य है।
–(प्रतिवादी)

(iii) अनुतोष?

5. प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर विद्वान वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई.

वादी वकील द्वारा अपनी बहस मे वादपत्र के कथनों को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया गया–

≈ ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा मे वादी क्रम–1 पुरूषोत्तम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 607/64 की 0.50 हैक्टर, वादी क्रम–2 वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 609/64 की 1.00 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 608/64 की 0.91 हैक्टर तथा वादी क्रम–3 की खातेदारी की 606/64 की 1.00 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। वादीगण उक्त भूमि के विधिवत् खातेदार चले आ रहे है तथा यह भूमि कभी भी माफी मन्दिर मथुराधीश जी की खाते मे नहीं रही।

≈ नगर विकास न्यास, कोटा ने मंदिर मथुराधीश जी की ग्राम धर्मपुरा की खसरा नम्बर 64 की 29.82 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121/479 की 2 हैक्टर भूमि अधिग्रहण की है, किंतु जब मौके पर नगर विकास न्यास कोटा ने रोड बनाना प्रारंभ किया तो नगर विकास न्यास कोटा ने वादीगण की खातेदारी की भूमि मे कार्यवाही शुरू कर दी और जब वादीगण ने मना किया तो कहा कि न्यायालय मे कार्यवही करो तथा कुछ समय के लिये कार्यवाही रोक दी जो अब पुनः प्रारंभ कर दी है।

≈ वादीगण ने दिनांक 20.10.2011 को इस संबंध मे सचिव महोदय नगर विकास न्यास कोटा को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया किंतु वादीगण की कोई सुनवाई नही हुई, इसलिए वादीगण को इस सम्माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने के अलावा और कोई विकल्प नही रहा। वाद कारण दिनांक 15.11.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी की भूमि मे जबरन सड़क बनाने की कार्यवाही करने पर तत्पर होने पर उत्पन्न हुआ।

≈ अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की एक स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण विधिवत् अधिग्रहण किये बिना खसरा नम्बर 607/64 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 609/64 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 608/64 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 606/64 रकबा 1.00 हैक्टर ग्राम धर्मपुरा की आराजी के वादीगण के कब्जे मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे और न उसमे कोई सडक का ही निर्माण कार्य करें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों मे उचित हो वादीगण को दिलवाई जावे।

प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर विद्वान प्रतिवादी अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई।

प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रा0 पत्र के कथनो को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया गया–

≈ खसरा नम्बर 64 रकबा 29.82 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121/479 की रकबा 2 हैक्टर ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की अवाप्त करना स्वीकार है, प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा पर सडक निर्माण करना स्वीकार है।

वाद पत्र के चरण नम्बर 1 मे वर्णित खसरा नम्बरों को भूमि पर सड़क निर्माण करना स्वीकार नही है। वादीगण को खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा पर सड़क निर्माण के कार्य को रुकवाने का अधिकार नही है।

≈ वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2 की आराजी के खसरा भिन्न भिन्न है अतः संयुक्त वाद पोषनीय नही है। खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा माफी मंदिर श्री मधुराधीश जी के खाते की है, जिसकी आवंटित की कार्यवाही हो चुकी है। सड़क निर्माण का कार्य खसरा नम्बर 64 ग्राम धर्मपुरा पर ही प्रस्तावित है।

6. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अनिल के कथनों पर गनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(i) आया वादीगण ग्राम धर्मपुरा खसरा नम्बरान पर 609/64, 608/64, 606/64, 607/64 पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

- ❖ वादीगण द्वारा ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 609/64, 608/64, 606/64, 607/64 स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है परंतु उक्त खसरा नम्बरान की आराजी वर्तमान मे अवाप्त की जाकर कोटा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
- ❖ तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र क्रमांक भू0अभि0नि0/2021/2524–2528 दिनांक 22.03.2021 के अनुसार वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी के संबंध मे प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से विनिमय, चाहा गया। तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र–अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
- ❖ उपरोक्त स्थिति के आधार पर वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजी पर वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नही है।
- ❖ इस तनकी में अंकित कथनों की पुष्टि नहीं होने से यह तनकी वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

(ii) वादीगण का वाद पोषनीय नही होने से खारिज होने योग्य है।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

- ❖ वादीगण द्वारा ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 609/64, 608/64, 606/64, 607/64 स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है परंतु उक्त खसरा नम्बरान की आराजी वर्तमान मे अवाप्त की जाकर कोटा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
- ❖ तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र क्रमांक भू0अभि0नि0/2021/2524–2528 दिनांक 22.03.2021 के अनुसार वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी के संबंध मे प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से विनिमय, चाहा गया। तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र–अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
- ❖ अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

(v) *अनुतोष ?* प्रस्तुत प्रकरण मे –

- ❖ प्रकरण मे वादी वकील द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत वादीगण द्वारा ग्राम धर्मपुरा तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 609/64, 608/64, 606/64, 607/64 स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है, परंतु उक्त खसरा नम्बरान की आराजी वर्तमान मे अवाप्त की जाकर कोटा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
- ❖ तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र क्रमांक भू0अभि0नि0/2021/2524–2528 दिनांक 22.03.2021 के अनुसार वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी के संबंध मे प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से विनिमय, चाहा गया। तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र–अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

27.01.26

❖ अतः वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना संभव नही है।

7. प्रस्तुत प्रकरणों पर सुनी गई अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर गनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तादेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने तथा तनकीयात के उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि –

☞ मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073-76 ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 609/64, 608/64, 606/64, 607/64 की आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी क्रम-1 के खाते दर्ज रिकॉर्ड है।

☞ तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र क्रमांक भू0अभि0नि0/2021/2524-2528 दिनांक 22.03.2021 के अनुसार वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी के संबंध मे प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से विनिमय, चाहा गया। तहसीलदार लाड़पुरा के पत्र-अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राजस्व अभिलेख मे अगल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

☞ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत खातेदार को अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपयोग पर उसके भूधारक अथावा अन्य किसी द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार करने का भय हो उसके विरुद्ध स्थायी व्यादेश दिये जाने का प्रावधान है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड-अनुसार वादीगण उपरोक्त खसरा नम्बरान के वर्तमान मे खातेदार नही है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण मे राजस्व-रिकॉर्ड अनुसार वादीगण उपरोक्त आराजी के वर्तमान मे खातेदार नही होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

8. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27-01-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

मजनवान :-

1. पूसाराम पुत्र किशना जाति गुर्जर
2. वीरम पुत्र बलदेव जाति गुर्जर
3. पप्पू पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर
   निवासी–फूलबेचरी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 102/11
निर्णय दिनांक : 27-01-2026

GCMS id : 2013/00077

न्यायालय हाजा में वादीगण अभिभाषक श्री हुकम चन्द जैन एवं प्रतिवादी क्रम–1 अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय की उपस्थिति में बहस अंतिम सुनने के बाद आज तारीख 27–01–2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कँवर आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व-रिकॉर्ड अनुसार वादीगण उपरोक्त आराजी के वर्तमान में खातेदार नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 27 जनवरी, 2026 को लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

27.01.26

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

खर्च के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अर्जी के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामील	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		6	कमिश्नर की फीस	
	जोड़			जोड़	